

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल

(फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या कलम १५४
अन्वये)

1. District (जिल्हा): नागपुर रेल वे P.S. (पोलीस ठाणे): नागपूर Year (वर्ष): 2022
FIR No. (प्रथम खबर क्र.): 0028 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):
12/01/2022 19:06 वाजता

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	गुंगीकारक औषधीदट्ट य आणि मनोट यापारावर परिणाम करणारे प्रदार्थ अधिनियम, १९८५	20 (b) (ii)

3. (a) Occurrence of offence(गुन्ह्याची घटना):

1 Day (दिवस): बुधवार Date from (दिनांक पासून): 12/01/2022 Date To (दिनांक पर्यंत): 12/01/2022

Time Period (कालावधी): प्रहर १ Time From (वेळेपासून): 01:45 तास Time To (वेळेपर्यंत): 01:45 तास

(b) Information received at P.S. (पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याचा): Date (दिनांक): 12/01/2022 Time (वेळ): 18:38 तास

(c) General Diary Reference (ठाणे दैनंदिनी संदर्भ): Entry No. (नोंद क्र.): 035 Date and Time (दिनांक आणि वेळ): 12/01/2022 18:38 तास

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1. (a) Direction and distance from P.S. (पोलिस ठाण्या पासून दिशा आणि अंतर): पूर्व, 00 कि.मी. Beat No. (बीट क्र.):

(b) Address (पत्ता): रेल्वे स्टेशन नागपूर चे प्लॉट, फार्म नं 03 वरील बायो टॉयलेट , चे जवळ,

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (पोलीस ठाण्याच्या हद्दी बाहेर असल्यास, पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (State) (जिल्हा (राज्य)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार / माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): सरकार तर्फे RPF सहायक
उपनिरीक्षक B S बघेल

(b) Father's Name (चे नाव): S बघेल

(c) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष): 1973 (d) Nationality (राष्ट्र ट्रीयट व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No. (पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख): Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्र क्रमांक)
-----------------	-----------------------------	-----------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्ता प्रकार)	Address (पत्ता)::
1	वर्तमान पत्ता	गोधनी नागपूर, नागपुर शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	गोधनी नागपूर, नागपुर शहर, महाराष्ट्र, भारत

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल क्र.):
91-9503034537

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संशयित / अज्ञात आरोपींचे संपूर्ण तपशील):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एका पेक्षा जास्त असतील तर संख्या): 0

S. No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address(वर्तमान पत्ता)
1	शंकर अशोक केवट			1. वार्ड नं 34 बाबा रामदास मंदिर, Town/Village (शहर / गाव): च्या जवळ घोघर हुजूर रिवा मप्र, Tehsil (तहसील): Police Station (पोलीस ठाणे): District (जिल्हा): रेवा, State (राज्य): मध्य प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

लागलीच

9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S. No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) मूल्य (रु. मध्ये)
1	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	एक बंडल वजन 2.096 किलो ग्रम	20,960.00
2	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	दुसरे बंडल वजन 2.091 किलो ग्रम	20,910.00
3	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	तिसरे बंडल वजन 2.142 किलो ग्रम	21,420.00
4	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	चौथे बंडल वजन 2.035 किलो ग्रम	20,350.00
5	इतर	घरगुती वस्तु	एक लाल रंगाची बॅग	500.00

10. Total value of property (In Rs/-) मालमत्तेचे एकूण मूल्य (रु. मध्ये) : 84,140.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मरणान्वेषण अहवाल/अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र. जर असल्यास):

S. No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)
--------------------	----------------------------

12. First Information contents (प्रथम खबर हकिगत):

आज रोजी आम्ही PSI भलावी स्टे डा चार्ज मध्ये हजर असतांना RPF सहायक उपनिरीक्षक बघेल रे सु ब नागपूर यांनी लेखी फिर्याद, जप्ती पंचनामा ,आरोपी तसेच एक बॅग गांजा एकूण वजन 10.036 किलो ग्राम व ईतर कागदपत्र दाखल करणे कामी पो स्टे ला आनून हजर केले वरून गुन्हा दाखल केला.

फिरियाद

आरपीएफ थाना नागपूर

दि. 12.01.2022

बी.एस. बघेल , उम्र 49 वर्ष व्यवसाय- सहायक उपनिरीक्षक, आरपीएफ थाना, नागपूर निवासी गोधनी, नागपूर

मै बी.एस. बघेल सरकार तर्फे फिर्याद देता हु की, दो पंचो को मुझ जप्ती कर्ता आरपीएफ के सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. बघेल घटनास्थल रेल्वे स्टेशन नागपूर के प्लेटफार्म नं. 03 पर मुंबई छोर पर स्थित बायो टॉयलेट के पास बुलाने पर उपस्थित हुये । मुझ जप्ती कर्ता द्वारा उक्त घटनास्थल पर एक व्यक्ति की ओर तथा उसके पास रखा लाल रंग का बैग की ओर इशारा कर बताया कि, आज दिनांक 12.01.2022 को आरक्षक दीपचन्द पटेल, आरक्षक योगेश जांगिड़ के साथ रेल्वे स्टेशन नागपूर मे नाइट शिफ्ट मे PLT इयूटी पर तैनात थे । गस्त के दौरान प्लेटफार्म नंबर 03 पर आयी ट्रेन नंबर 12807 विशाखापटनम- निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस को उक्त स्टाफ द्वारा अटेण्ड किया तथा D-1 कोच नं Eco -124234 को चेक करने पर सीट नंबर 31 पर आरक्षक दीपचन्द पटेल को एक व्यक्ति लाल रंग के बैग के साथ संदिग्ध हालत मे बैठा हुआ मिला जिससे पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम शंकर केवट S/O अशोक केवट, उम्र 33 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 34, बाबा रामदास मंदिर के पास, घोघर, हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश 486001 बताया तथा बताया कि वह ट्रेन नं. 12807 विशाखापटनम- निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस से हरीशंकर रोड से इटारसी जा रहा है उसके पास मिले लाल रंग के बैग के बारे मे पूछने पर उक्त व्यक्ति ने बैग मे 04 बंडल गाँजा होना बताया । बाद उक्त व्यक्ति तथा उसके पास मौजूद लाल रंग के बैग को D-1 कोच के दरबाजे के सामने प्लेटफार्म 03 पर स्थित बायो टॉयलेट के पास समय लगभग 01:45 बजे उतारा गया । उक्त स्टाफ द्वारा ट्रेन नं. 12807 विशाखापटनम - निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस से उतारे गए व्यक्ति तथा उसके पास मिले 01 लाल रंग के बैग जिसमे गांजा जैसे होने की संभावना की वजह से एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु निरीक्षक आरपीएफ थाना नागपूर को रिपोर्ट प्रेषित करने पर निरीक्षक महोदय द्वारा मुझ सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. बघेल तैनात आरपीएफ थाना नागपूर को एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु श्रीमान, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ, मध्य रेल, नागपूर इनको एनडीपीएस एक्ट कलम 42 (1) (2) के अनुसार अनुमति

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

मिलने हेतु लिखित पत्र के साथ उपनिरीक्षक विजयपाल सिंह आरपीएफ थाना नागपुर को वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ, मध्य रेल, नागपुर कार्यालय मे आदेश जारी कर भेजा गया माननीय वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ, मध्य रेल, नागपुर महोदय द्वारा आगे की कार्यवाही की अनुमति प्रदान की गयी वह पत्र लेकर उपनिरीक्षक विजयपाल सिंह यह आरपीएफ थाना नागपुर को उपस्थित हुये । उसके बाद एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु इलेक्ट्रीक वजन काटा व मापतोल करने वाले दादाराव तायडे को लाने के लिए पत्र जारी कर आदेश पत्र के साथ आरक्षक नीरज कुमार तथा सरकारी पंच लाने हेतु मुख्य टिकिट निरीक्षक कार्यालय नागपुर स्टेशन को पत्र जारी कर आरक्षक गडपलवार इन्हे आदेश पत्र के साथ रवाना किया गया और पंचनामा कार्यवाही की फोटोग्राफी करने हेतु आरक्षक आरक्षक गोवर्धन सवई इन्हे आदेशित किया गया तथा राजपत्रित अधिकारी इन्हे पंचनामा कार्यवाही करने के लिए उपस्थित रहने हेतु विनंती पत्र तैयार करके उपनिरीक्षक विजयपाल सिंह इन्हे आदेश पत्र जारी कर रवाना किया गया । आरक्षक राजेश गडपलवार सरकारी पंच 1) सागर खुशाल राऊत उम्र 38 वर्ष धन्दा- रेलवे नौकरी- मध्य रेल नागपुर मंडल वाणिज्य विभाग CTI कार्यालय नागपुर पदनाम वरिष्ठ टिकिट परीक्षक निवासी – आशीर्वाद स्कूल के पास प्लॉट नं. 18 काले ले आऊट झिंगाबाई टाकली नागपुर – 30 मो. नं. 9423050575 2) राजेश साहेबराव खडसे उम्र 48 वर्ष धन्दा- रेलवे नौकरी- मध्य रेल नागपुर मंडल वाणिज्य विभाग CTI

(लगातार)

(02)

कार्यालय नागपुर पदनाम प्रधान टिकिट परीक्षक निवासी –प्लॉट नं. 87C/o संजय रानेरवार घोघली बेसा नागपुर – 34 मो. नं. 9022933514 को लेकर आरपीएफ थाना नागपुर उपस्थित हुये । उपनिरीक्षक विजयपाल सिंह राजपत्रीत अधिकारी सहायक सुरक्षा आयुक्त/आर पी एफ नागपुर कोटा जोजी को लेकर आरपीएफ थाना नागपुर उपस्थित हुये । आरक्षक नीरज कुमार इलेक्ट्रीक वजन काटे के साथ मापतोल करने वाला नाम श्री. दादाराव रमेशचंद्र तायडे को लेकर आरपीएफ थाना नागपुर उपस्थित हुये । उपरोक्त सभी को एक दुसरे का परिचय करवाकर उक्त हकिकत समझायी । राजपत्रीत अधिकारी, पंच, फोटोग्राफर, इलेक्ट्रीक वजन काटेवाला और सील साहित्य लेकर प्रधान आरक्षक संजय दलने टाईप रायटर को घटनास्थल की लिखित कार्यवाही हेतु को साथ लेकर मैं सहायक उप निरीक्षक बी.एस. बघेल लैपटाप व प्रिन्टर के साथ मैं घटनास्थल पंचनामा करने के लिए चलते हुये घटनास्थल पर पहुचे । घटनास्थल रेलवे स्टेशन नागपुर के प्लेटफार्म नं. 03 पर मुंबई छोर पर स्थित बायो टॉयलेट के पास पहुचने पर एक पुरुष बैठा हुआ है उनके पास 01 लाल रंग का बैग है उस व्यक्ति से हम पंचो के समक्ष नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम शंकर केवट S/O अशोक केवट, उम्र 33 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 34, बाबा रामदास मंदिर के पास, घोघर, हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश 486001 बताया तथा साथ मे लाये हुये बैग बाबत पुछने पर बैग मे कुल 04 पैकेट गाँजा पदार्थ होना बताया और बताया की उसने विशाखापटनम से इटारसी तक अतिरिक्त किराया टिकीट बनवाया था जिसे निकालकर दिखाया जिसका नं. 157655 पाया गया और बताया

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषणफॉर्म - १)

की उसे हरीशंकर रोड रेलवे स्टेशन पर बाबू नाम के व्यक्ती जिसका मोबाईल नं. 8455940851 ने उपरोक्त 04 बंडल गाँजा लाकर दिया था जिसे जबलपुर में अंकित नाम के व्यक्ति जिसका मोबाईल नं. 8519083085 को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर लेने आने वाला था इस काम के एवज में उसे 3000/- रुपए जबलपुर में अंकित देने वाला था | घटनास्थल पर उपरोक्त व्यक्ति को उसकी और बैग की झड़ती कलम 50 (1) एन.डी.पी.एस. अक्ट अनुसार तरतुद के नुसार राजपत्रित अधिकारी या दंडाधिकारी के समक्ष तरतुद है और वह आपका अधिकार है यह बताकर सहायक सुरक्षा आयुक्त/आर पी एफ नागपूर कोटा जोजी यह आपके समक्ष उपस्थित है | यह या और कोई अधिकारी चाहिए है तो हम वैसी व्यवस्था कर सकते हैं यह उक्त व्यक्ति शंकर केवट S/O अशोक केवट, उम्र 33 वर्ष, निवासी- वार्ड नंबर 34, बाबा रामदास मंदिर के पास, घोघर, हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश 486001 को हिन्दी में लिखित सुचना हम पंच के तथा बघेल साहब के सही से दिया उसने हमें बताया कि, मुहजे मेरे धिकार की जानकारी मिल गयी है | आप मेरे पास मौजूद बैग की तलासी ले सकते हैं | यह कथन करने के बाद सुचनापत्र के दुय्यम प्रत पर स्वाक्षरी/अंगुठा लिया गया | उसने अपने पास की बैग की झड़ती लेने की अनुमती देने पर राजपत्रीत अधिकारी, पंच, फोटोग्राफर और बघेल साहब ने अपना परिचय देकर अपनी-अपनी अंगझड़ती दी बाद उक्त व्यक्ति के पास मौजूद लाल रंग का बैग जिसपर AMERICAN TOURISTER लिखा हुआ है उस बैग की किंमत करीबन 500/- रु. आकी गयी | उक्त आरोपी के पास की लाल रंग की बैग को उपस्थित पंचो के समक्ष खोला गया, जिसमें चार हरी पोलोथीन के अंदर 04 (चार) बंडल खाकी टेप से लपेटे हुये अलग अलग पाये गए उसे खोलकर देखने पर नमीयुक्त हरी पत्तियां गांजा जैसी दिखने वाली पायी गयी जिसकी गंध गाँजा जैसी तीव्र आ रही है | तथा बैग के अंदर एक किताब जिस पर स्तोत्ररत्नावली लिखा हुआ है | बैग का गांजा के साथ वजन 10.036 किलो ग्राम पाया गया बैग को A नाम दिया गया |

बैग में पाये गए पहले बंडल को A-1 नाम दिया गया, जिसका वजन 2.096 किलो ग्राम किंमत 20960/- रु. बंडल में से 24-24 ग्राम के दो सॅम्पल निकाले गए | निकाले सॅम्पल को S1 और P1 क्रमांक दिए गए |

बैग में पाये गए दूसरे बंडल को A-2 नाम दिया गया, जिसका वजन 2.091 किलो ग्राम किंमत 20910/- रु. बंडल में से 24-24 ग्राम के दो सॅम्पल निकाले गए | निकाले सॅम्पल को S.2 और P.2 क्रमांक दिए गए |

बैग में पाये गए तीसरे बंडल को A-3 दिया गया, जिसका वजन 2.142 किलो ग्राम किंमत 21420/- रु. बंडल में से 24-24 ग्राम के दो सॅम्पल निकाले गए | निकाले सॅम्पल को S.3 और P.3 क्रमांक दिए गए | (लगातार)

(03)

बैग में पाये गए चौथे बंडल को A-4 दिया गया, जिसका वजन 2.035 किलो ग्राम किंमत 20350/- रु. बंडल में से 24-24 ग्राम के दो सॅम्पल निकाले गए | निकाले सॅम्पल को S.4 और P.4 क्रमांक दिए गए |

बैग किंमत करीबन 500/- रु. तथा बंडल A-01 से A-04 तक गाँजा का कुल वजन 8.364 किलो

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषणफॉर्म - १)

ग्राम कुल कीमत 83,640/- रु. तथा बैग के साथ कुल कीमत 84,140/- रुपए ।
उपरोक्त बैग के साथ गांजा का कुल वजन 10.036 किलोग्राम, सिर्फ गांजा का वजन 8.364 किलो
ग्राम किंमत 83,640/- /- रु. का गाँजा, बैग के साथ कुल किंमत 84,140/- /- रु. का माल को जप्त
किया गया । गांजा के अलावा एक किताब स्तोत्ररत्नावली, अतिरिक्त किराया टिकिट के अलावा
और कोई चीज जप्त नहीं की गयी । जप्त मुद्देमाल और सी.ए. सॅम्पल पर हम, पंच और
राजपत्रित अधिकारी के दस्तखत के लेबल लगा कर जगह पर सिलबंद किया गया । उपरोक्त
पंचनामा शुरु से लेकर आखिरी कार्यवाही होने तक मापेकरी ने इलेक्ट्रीक वजन मशीन पर तोलमाप
किया है और फोटोग्राफर ने फोटो निकाले हैं । मुद्देमाल आगे की कार्यवाही हेतु ताबे में लिया गया
।

आगे की एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु जप्ती पंचनामा के तहत जप्त मुद्देमाल, जप्ती
के सॅम्पल व जप्ती पंचनामा के कार्यवाही हेतु तैयार किये गये दस्तावेज, जिसमें आदेश तथा
अनुमती पत्र व राजपत्रीत अधिकारी को कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने बाबत जारी पत्र व रेल्वे
के वाणिज्य विभाग नागपुर को सरकारी पंच की हैसियत से दो पंचों को उपरोक्त कार्यवाही हेतु
उपस्थित रहने बाबत जारी पत्र तथा उपरोक्त कार्यवाही हेतु स्टाफ को जारी आदेश के जरीये जप्ती
पंचनामा के दौरान गांजा इस पदार्थ को मापतोल हेतु मापतोल धारी व्यवसायी को उपस्थित करने
हेतु जारी पत्र, अतिरिक्त किराया टिकीट नं. 157655 की पावती के साथ एक आरोपी शंकर केवट
को अग्रिम कार्यवाही हेतु फिरयाद सादर प्रेषित है ।

सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. बघेल

जप्तीकर्ता

आरपीएफ थाना नागपुर

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध दिसून आल्यामुळे):

- (1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):** Mansiha Kashid (पोलीस निरीक्षक) or (किंवा):
- (2) **Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):** Rank (हद्दा):
No. (क्र.): to take up the Investigation (तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)
- (3) **Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):**
or (किंवा)

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

(4) Transferred to P.S. (गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा): on point of jurisdiction (अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा)

Name (नाव): Mansiha Kashid

Rank (हुद्दा): I (Inspector)

No. (क्र.): PI

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

I.I.F.-I (एकीकृत अन् वेषणफॉर्म - १)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र)

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल या/पाहिलेल या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व यंग आणि इतर तपशील)

S. No. (अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्मतारीख वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms) (उंची(से ं.मी)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1989		-		चेचक: क्र.
Deformities / Peculiarities (व यंग वैशिष्ट्ये)	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eye (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit (s) (पोशाखाच य सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language/Dia lect (भाषा/बोली)	Place of (चे ठिकाण)				Others (इतर)	
Burn Mark (भाजल याच खुणा)	Leucoderm a (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)		
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा व यापेक्षा अधिक तपशील दिले यास फक्त त यातील रकाने यांची नोंद घेतली जाईल)